

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र,
शेखपुरा, पटना।

पटना, दिनांक 16.8.2018

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में Quick Medical Response Team के प्रशिक्षण हेतु राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय, उपशीर्ष-0102-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण, विपत्र कोड-P2245808000102 विषय शीर्ष-20 03 प्रशिक्षण व्यय मद से कुल राशि 9403000/- (चौरानवे लाख तीन हजार) रू0 मात्र आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत मांग सं0-39 विपत्र कोड-P2245808000102 में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में Quick Medical Response Team के प्रशिक्षण हेतु कुल 9403000/- (चौरानवे लाख तीन हजार) रू0 मात्र आवंटन की स्वीकृति आपदा प्रबंधन विभाग के अधियाचना के आलोक में दी जाती है।

क्र0	संस्थान का नाम	प्राप्त उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	योग	शेष उपबंध
1	प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, शेखपुरा, पटना।	9403000/- (चौरानवे लाख तीन हजार)	0	9403000/- (चौरानवे लाख तीन हजार)	9403000/- (चौरानवे लाख तीन हजार)	0

- संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- आवंटित राशि का व्यय मांग सं0-39, मुख्य शीर्ष-2245, प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय, उपशीर्ष-0102-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण, विपत्र कोड-P2245808000102, राज्य योजना स्कीम कोड-DIS-5332, विषय शीर्ष-20 03 प्रशिक्षण व्यय मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

4. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, शेखपुरा, पटना होंगे एवं जिला कोषागार, पटना से राशि की निकासी करेंगे। नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख (आपदा) स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।
5. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उपमुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर आंकड़ों से संबंधित त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दें, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
7. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। व्यय की गई राशि का डी०सी० विपत्र महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को शीघ्र भेजा जाय।

विश्वासभाजन

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- 715 (12) /स्वा०, पटना, दिनांक: 16 / 8 / 2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक प्रमुख (आपदा), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आई०टी०मैनेजर प्रशाखा पदाधिकारी-12 एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।